

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्ययक अनुभाग)

प.4(71)वित्त-1(1)आय.व्य/2015

जयपुर, दिनांक : 04/07/16

स्वीकृति संख्या:-140/2016-17

संबंधित कोषाधिकारी,
राजस्थान।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2016-17 में विभिन्न मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्(ग्राविप्र) के पी.डी.खाते में राशि रुपये 76.10 लाख के हस्तांतरण बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक एफ5(0)एसीटीएडी/माडा/ईडीयू/प्रस्ताव/जकनि/प्रपोजल 2016-17 स्वीकृति सं. 28/2016-17 दिनांक 24.06.2016 में अंकित शर्तों के अनुसार निम्नलिखित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्(ग्राविप्र) के पी.डी.खाते में राशि रु. 76.10 लाख (अक्षरे रुपये छियत्तर लाख दस हजार) मात्र की राशि निम्न बजट मद में व्यय दर्शाते हुए हस्तांतरित कर दी जावे:-

मांग संख्या -30

- 2225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण
02 - अनुसूचित जन जातियों का कल्याण
796 - जनजातिय क्षेत्र उपयोजना
(21) - माडा क्षेत्र विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (ज.क.नि.)
[02] - आवासीय विद्यालयों का संचालन

(राशि रु लाखों में)

क्र.सं.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् (ग्राविप्र)	12-सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (आयोजना)	92-सहायतार्थ अनुदान (संवेतन) (आयोजना)	राशि रु. लाखों में
1.	दौसा	24.30	13.75	38.05
2.	झालावाड	24.30	13.75	38.05
	योग	48.60	27.50	76.10

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के खर्चों के लिए ही किया जावेगा, किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।

भवदीय,

W. S. Singh
(जसवंत सिंह)

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हक/लेखापरीक्षा-प्रथम), राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-II) विभाग।
5. संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्(ग्राविप्र)।
6. अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
7. अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

W. S. Singh

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)